राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग,राजस्थान–अजमेर

क्रमांक सामा06 / पु.रे.शा. / 2022 / दिनांकः

निदेशालय,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान–जयपुर

विषयः– विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त पुराने अभिलेख एवं रेकॉर्ड नीलामी 22.09.2022 को रखी गयी है। निचेदन है कि अन्तिम तिथि 22.09.2022 को दोपहर 2.00 बजे रखी गयी है। प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति की प्रति आवश्यक सूचना के संलग्न कर ई–मेल द्वारा प्रेषित है । कृपया विज्ञप्ति का RTTP Rule 43(6) के अनुसार एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा एक राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में शीघ्र प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करावें । अतः कृपया विज्ञप्ति का प्रकाशन शीघ्र कराते हुये समाचार पत्रों की एक–एक प्रति इस विभाग को भी भिजवानें की व्यवस्था करावें ।

निदेशक

क्रमांक सामा06 / पु.रे.शा. / 2022 / 16722 दिनांकः 07-09-2022

प्रतिलिपिः–

1. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को बोली विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं नियम शर्तो की प्रतिलिपि देकर लेख है कि बोली विज्ञप्ति, बोली प्रपत्र एवं नियम एवं शर्तें आदि विभाग की वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निदेशक

राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः सामा06 / पु.अ.शा. / 2022 / दिनांकः

नीलामी विज्ञप्ति

इस कार्यालय के आदेश कमांक सामा06 / पु.अ.शा. / 2022 / 14534–35 दिनांक 29.7.2022 के अनुसार इस कार्यालय की विभिन्न शाखाओ से प्राप्त अभिलेख व रेकार्ड लगभग 4610 पत्रावलियां जिनका अनुमानित वजन 80 क्विंटल है, का नीलामी द्वारा निस्तारण किया जाना है।

अतः सर्व रद्दी केताओ को सूचित किया जाता है कि दिनांक 22.09.2022 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय निदेशक निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर के परिसर में उक्त अभिलेख / रेकार्ड की नीलामी की जायेगी। नीलामी हेतु इच्छुक बोली दाता दिनांक 22.09.2022 को 2.00 बजे तक धरोहर राशि 5000 / – रूपये कार्यालय में जमा करा कर बोली में भाग ले सकते है। स्वीकृत बोली दाता को नीलामी पश्चात नीलामी की सम्पूर्ण राशि मय कर (यदि देय हो तो) एक मुश्त जमा करानी होगी। नीलामी बोली को स्वीकृत करना / नही करना / रद्द करने का अधिकार कमेटी के पास होगा।

Sd.

(विजेन्द्र कुमार शर्मा)

उप निदेशक

क्रमांकः सामा06 / पु.अ.शा. / 2022 / 16696 दिनांकः 7/9/2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ दी जाती हैः–

1. श्री कैलाश सोफिया स्कूल के पीछे भोपो का बाडा अजमेर।
2. श्री नेमीचन्द टांक सोफिया स्कूल के पीछे भोपो का बाडा अजमेर।
3. श्री प्रकाश ए.आई.टी कॉलेज के पास पुष्कर बाई पास अजमेर।
4. श्री सतीश 9 नम्बर पेटोल पम्प के पास नगरा अजमेर।
5. श्री खेमचन्द मालीयों की बगीची पहाडगंज अजमेर।
6. श्री भगवान दास मालीयों की बगीची पहाडगंज अजमेर।
7. श्री चेतनदास डबल स्टोरी मदार अजमेर।
8. श्री .... अभिलेख नष्ट / निस्तारण समिति निदेशालय अजमेर।
9. कार्यालय अधिक्षक आयुर्वेद निदेशाालय अजमेर ।
10. कार्यालय सूचना पट्ट।

उप निदेशक

राजस्थान–सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान–अजमेर

पुरानत अभिलेख नीलामी की शर्ते

1. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम पार्ट II के नियम 22(2) के अन्तर्गत पुरातन अभिलेख डिस्पोजल/नीलाम किया जावेगा। इस संबंध में दिनांक 22.09.2022 द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही की जावेगी।
2. बोली दाता को बोली लगाने से पूर्व रू. 5000 नकद बयाना राशि (अर्नेट मनी) के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। बोली प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी भी परिस्थितियों में धरोहर राशि स्वीकार नहीं होगी।
3. पुरातन अभिलेख के लिये नीलामी हेतु प्रारम्भिक न्यूनतम सरकारी बोली 1000/– रूपया प्रति क्विटंल (एक हजार रूपया प्रति क्विटंल) नियत की जाती हैं।
4. नीलामी समाप्ति के बाद उच्च बोलीदाता को वजन करना प्रारम्भ करना होगा व वजन समाप्ति पश्चात् उसी दिन नीलामी की सम्पूर्ण राशि मय कर (यदि देय हो तो) जमा करवाना अनिवार्य होगा।
5. नीलाम हुये रेकार्ड को वजन करने की व्यवस्था स्वीकृत बोलीदात को स्वयं के खर्च पर करनी होगी व वजन विभागीय अधिकारियों के समक्ष करना होगा। नीलाम योग्य अभिलेख (रेकार्ड) की गोपनीयता बनाये रखने की दृष्टि से समस्त अभिलेख के टुकडे–टुकडे करके उसे विभागीय समिति को अवलोकन कराना होगा तथा अभिलेख का कोई भी कचरा शेष नहीं छोडा जावेगा। समस्त रद्दी/कचरा 07 दिवस में अनिवार्य रूप से उठाना होगा।
6. अधिकतम बोलीदाता को 50 रूपये के स्टॉम्प पेपर पर इस आशय का एक शपथ पत्र सहमति के रूप में विभाग को लिख कर देना होगा, कि बोली योग्य समस्त अभिलेख को टुकडो–टुकडो में विभाजित किया जाकर उसे गलाया जाकर उसकी लुगदी बनाकर पुनः पेपर (कागज) निर्माण के कार्य में ही लिया जावेगा।
7. पेपर मिल्स से लुगदी का प्रमाण–पत्र 15 दिन में लाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नीलामी की उक्त शर्तो में संशोधन/परिवर्तन तथा शर्ते निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा जिसे बोलीदाता को मान्य होगा।
9. नीलामी बोली को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपनिदेशक